

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

दिनांक

67/2012

19/6/2012

संख्या:- 605 E/0/6th. etc

RBE No 67/2012

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

विषय :- Sixth Central Pay Commission Recommendations regarding encashment of leave on Average Pay (LAP) while availing Privilege

संदर्भ :- Pass / PTO - Clarification regarding reckoning of NPA while calculating encashment of LAP

Ry B L No F(E) 111/2008/LE 111

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि.
एवं सूचनार्थे प्रेषित की जा रही है।

की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन

सलंगन- यथोक्त।

dt. 30/5/2012

(आर.के.शर्मा)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- | | | | |
|-----|-------------------------------|----|-----------|
| 7. | महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू | 15 | प्रतियों। |
| 8. | महासचिव- यूपीआरएमएस | 15 | प्रतियों। |
| 9. | महासचिव- एससी/एसटी एसो. | 15 | प्रतियों। |
| 10. | महासचिव- ओबीसी एसो. | 05 | प्रतियों। |
| 11. | महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 | प्रतियों। |

43
10 JUN 2012

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RB-1039
12 JUN 2012

New Delhi, dated: 30.05.2012.

SM
CFO
Dy. Commr (Rtd)
13/6

No. F(E)III/2008/LE1/1

The General Managers/FA&CAOs,
All Zonal Railways/Production Units,
(As per Mailing List).

North Western Ry / Jai PWR.

Subject: Sixth Central Pay Commission Recommendations regarding encashment of Leave on Average Pay (LAP) while availing Privilege Pass/PTO - Clarification regarding reckoning of NPA while calculating encashment of LAP

+++++

References have been received in this office from different quarters seeking clarification as to whether Non-Practicing Allowance (NPA) is to be taken into account while calculating the cash equivalent for encashment of LAP upto 10 days while availing Passes/PTO.

2. The matter has been examined in consultation with the Department of Personnel & Training, the nodal department of the Government in the matter and the Ministry of Finance, Department of Expenditure and it is clarified that NPA shall be taken into account for calculating encashment of LAP while availing Privilege Pass/PTO.

3. Please acknowledge receipt.

Bhargava
(T.P. Sharma)
Deputy Director Finance (Estt.) III,
Railway Board.

No. F(E)III/2008/LE1/1

New Delhi, dated: 30.05.2012.

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

Bhargava
for Financial Commissioner/Railways.

No. F(E)III/2008/LE1/1

New Delhi, dated: 30.05.2012.

Copy forwarded to:

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

04/11

पीसी-VI 292
आरबीई सं.67/2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ (ई) III/2008/एलई-1/1

नई दिल्ली, दिनांक: 30.05.2012


महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें / उत्पादन इकाइयां।
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशों का इस्तेमाल करते समय औसत वेतन अवकाश (एलएपी) के नकदीकरण के संबंध में छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों-एलएपी के नकदीकरण का हिसाब लगाते समय एनपीए की गणना करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस कार्यालय में स्पष्टीकरण मांगने के संबंध में विभिन्न विभागों से पत्र प्राप्त हुए हैं कि क्या पासों/सुविधा टिकट आदेशों का इस्तेमाल करते समय 10 दिनों की एलएपी के नकदीकरण के लिए समतुल्य नकद का हिसाब लगाते समय गैर-प्रैक्टिस भत्ते (एनपीए) को ध्यान में रखा जाना है।

2. सरकार के नोडल विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों का इस्तेमाल करते समय एलएपी के नकदीकरण का हिसाब लगाते समय एनपीए को ध्यान में रखा जाएगा।

3. कृपया पावती दें।




(टी.पी. शर्मा)

उप निदेशक, वित्त (स्थापना) III
रेलवे बोर्ड.

सं. एफ (ई) III/2008/एलई-1/1

नई दिल्ली, दिनांक: 30 .05.2012

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली
(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें।